| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>सुनील पंवार. बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)<br>सू.अ.अ.अपील सं0 135/2023 (ऑनलाईन नं. 353739313915239 ) | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 24.08.23 | अपीलार्थी सुनील पंवार पुत्र सुरेश पंवार, निवासी प्लॉट नं. 47, सेक्शन 7, एक्सटेंशन एनपीएच रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.04.23. में उसके द्वारा (1) दिनांक 31.01.2021 को बाबा रामदेव जी का मंदिर परिसर मसुरिया जोधपुर श्री पीपा क्षत्रिय समस्त न्याति सभा ट्रस्ट मसूरिया परिसर कटेनमेंट जोन में था या नहीं की जानकारी, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( कलक्टर कर्यालय जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से जरिये पत्रांक 887 दिनांक 27.07.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि अपीलार्थी सुनील पंवार को कार्यालय के पत्र संख्या 496 दिनांक 24.04.23 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि आवेदन में वर्णित विशिष्टियां प्रश्नात्मक प्रकृति की है तथा इन चाही गई सूचनाओं की व्याख्या की जानी है, जो प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग जायपुर के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के पेरा–3 के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना अथवा काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।<br><br>( हिमाशु गुप्ता )<br>जिला कलक्टर जोधपुर<br>जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.) | |